



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 206 राँची, गुरुवार,

5 मई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 अप्रैल, 2022

संख्या--5/आरोप-1-130/2016-4620 (HRMS)--श्री संजय सांडिल्य, झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक-753/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के विरुद्ध उपायुक्त- सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-2086/जि०ग्रा०, दिनांक 10.11.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. श्री संजय सांडिल्य, पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखण्ड पोटका में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2011-12 में मनरेगा अधिनियम की धारा-23, 25 एवं 27(2) का उल्लंघन किया गया है।

2. श्री संजय सांडिल्य, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका के द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये मनरेगा योजनान्तर्गत योजना सं०- 03/11-12 शैलन भूमिज के घर से मुख्य पथ तक 01 कि०मी० मिट्टी मुरम पथ का निर्माण प्राक्कलित राशि 3.02400 लाख का प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा स्थल जाँच के दौरान सड़क की लम्बाई मात्र 150 फीट पाया गया

जबकि स्वीकृत सड़क की लम्बाई 01 कि॰मी॰ दर्शाया गया है। अतः बिना कार्य किये योजना की प्राक्कलित राशि 3.024 लाख के विरुद्ध 3.02243 लाख रुपये की निकासी फर्जी तरीके से कर ली गयी। श्री सांडिल्य के द्वारा स्थल का सम्यक् पर्यवेक्षण नहीं होने के कारण 3.02243 लाख रुपये राजस्व की क्षति हुई है।

3. श्री संजय सांडिल्य, पूर्वी सिंहभूम द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य, निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9076, दिनांक 21.10.2016 द्वारा श्री सांडिल्य से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री सांडिल्य के पत्र, दिनांक 30.11.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सांडिल्य के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2051, दिनांक 08.03.2017 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-272/गो॰, दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री सांडिल्य के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री सांडिल्य के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं॰-1725(hrms), दिनांक 11.04.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-152, दिनांक 19.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सांडिल्य के विरुद्ध वगैर स्थल जाँच किये अभिलेख प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिला मुख्यालय भेजने का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है एवं इनको Lack of Devotion to Duty का दोषी प्रतिवेदित किया गया है।

श्री सांडिल्य के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सांडिल्य के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(i) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-5926, दिनांक 19.11.2020 द्वारा श्री सांडिल्य से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। इसके अनुपालन में, श्री सांडिल्य के पत्र, दिनांक 09.12.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री सांडिल्य द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(क) जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मेरे विरुद्ध यह आरोप है कि मैंने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका (दिनांक 17.04.2010 से दिनांक 09.05.2011 तक) द्वारा योजना सं॰-03/2011-12 शैलेन भूमिज के घर से मुख्यपथ तक 01 कि॰मी॰ मिट्टी मुरुम पथ निर्माण के संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अभिलेख उप विकास आयुक्त-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के अन्तर्गत उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को भेजा गया था। मेरे द्वारा अभिलेख भेजे जाने के पूर्व स्थल जाँच कर लिया जाता तो कनीय अभियंता के द्वारा प्राक्कलन बनाने में की गई गड़बड़ी का पता प्रारम्भ में ही चल जाता। अतः मेरे विरुद्ध अधिक-से-अधिक सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम- 3(1)(i) एवं (ii) के तहत Lack of Devotion to Duty का दोषी माना जा सकता है।

(ख) पूर्व में पत्रांक-9076 से मुझसे स्पष्टीकरण की माँग की गई थी, जिसके आलोक में मैंने अपनी ओर से मेरे विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों का कंडिकावार विस्तृत स्पष्टीकरण कार्मिक विभाग को समर्पित किया था। मेरे द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण को इस द्वितीय स्पष्टीकरण का अंश माना जाय ।

(ग) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गाँधी नरेगा) दिशा-निर्देश 2013 चैथा संस्करण के अध्याय 2.2.1 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी (पी0ओ0) ब्लॉक स्तर पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गाँधी नरेगा) दिशा-निर्देश 2013 चैथा संस्करण अधिनियम के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करता है तथा उनकी मुख्य जिम्मेदारी इस बात को सुनिश्चित करना है कि 2.2.1 (iv) ब्लॉक में ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के निष्पादन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना है।

(घ) अध्याय 4.2.5 के अनुसार कनीय अभियंता (कार्य) मनरेगा के अन्तर्गत कार्य प्राक्कलन तैयार करने और निर्माण/सिविल कार्यों के लिए कार्यों का ले-आउट देने, आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने, निर्धारित प्रक्रियाविधि के अनुसार कार्य निष्पादन की निगरानी करने और तकनीकी पर्यवेक्षण मुहैया कराने के प्रति जिम्मेदार होगा ।

(ङ) सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक-7511(5) दिनांक 28.12.2010 जो पथ निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे मापी के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया था, जिसके अनुसार मापी और विपत्र के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है ।

(च) मेरे द्वारा अनगिनत योजना सूचीबद्ध रूप से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया था तथा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजे जाने के पूर्व मेरे द्वारा किसी भी योजना हेतु समर्पित प्रपत्र पर शंका होने पर भेजे गये प्रशासनिक स्वीकृति हेतु 10 प्रतिशत योजनाओं का Random स्थल जाँच किया जाता है। यह संभव नहीं है कि प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रत्येक योजना का स्थल जाँच मेरे द्वारा किया जाय। मेरे द्वारा किसी भी योजना के कार्य आरंभ होने तथा योजना के दौरान या योजना के पूर्ण होने पर राशि भुगतान हेतु समर्पित प्रपत्र का अनुमोदन उक्त योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य के जाँच के पश्चात् ही किया जाता है ।

(छ) चूँकि मेरे ओर से अनगिनत योजना की अभिलेख प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सुक्ष्मता से अध्ययन करने के पश्चात् जिस-जिस योजना लगभग 10 प्रतिशत योजना का स्थल जाँच अनिवार्य प्रतीत हुआ, मेरे द्वारा किया गया था। सभी योजना का स्थल जाँच प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजने के पूर्व किया जाना नियमतः संभव नहीं है ।

(ज) मैंने अपने उक्त कार्यकाल में अपना कार्य निष्ठापूर्वक पूरी जिम्मेदारी के साथ मेरे ओर से भेजे गये सभी योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व गहन रूप से जाँच- पड़ताल के पश्चात् ही भेजा गया था ।

(झ) मेरे ओर से सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम- 3(1)(i) एवं (ii) के तहत Lack of Devotion to Duty नहीं किया गया है। फिर भी यदि श्रीमान को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे उक्त कार्य Lack of Devotion to Duty के अन्तर्गत आता है तो मेरा श्रीमान से विनम्रपूर्वक निवेदन होगा कि भविष्य में मैं अधिक सतर्कता बरतने हेतु तत्पर रहूँगा ताकि मेरे ओर से किसी प्रकार की कोई त्रुटि घटित न हो सके ।

श्री सांडिल्य द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उनके द्वारा कोई नया तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि अनगिनत योजना सूचीबद्ध रूप से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया था तथा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजे जाने से पूर्व उनके द्वारा किसी भी योजना हेतु समर्पित प्रपत्र पर शंका होने पर भेजे गये प्रशासनिक स्वीकृति हेतु दस प्रतिशत योजनाओं का Random स्थल जांच किया गया है, किन्तु संचिका के पृष्ठ-4/प० पर रक्षित योजना से संबंधित प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.10.2010 को पंचायत कालिकापुर गांव अंतर्गत शैलेन भूमिज के घर से मुख्य सड़क तक एक किलोमीटर मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना का उन्होंने स्वयं स्थल निरीक्षण किया था, किन्तु बाद में जांच के दौरान उक्त योजना की लम्बाई एक किलोमीटर के स्थान पर मात्र 150 फीट पायी गई। स्पष्ट है कि श्री सांडिल्य द्वारा उक्त योजना के संबंध में बिना स्थल निरीक्षण किये योजना से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री संजय सांडिल्य, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा अस्वीकार करते हुए इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SANJAY SANDIL BHR/BAS/3475	श्री संजय सांडिल्य, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा अस्वीकार करते हुए इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री संजय सांडिल्य, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
